आंध्रप्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

एपी पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य

11 नवंबर, 2005

(बीपी सिंह, एसबी सिन्हा)

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 309 प्रावधान- ए.पी. संशोधित वेतनमान नियम 1900 नियम 3, 4, 5 और 94 पी. सिविल पेंशन कम्युटेशन नियम, 1944- नियम 3(डी) और (ई)- वेतनमान में संशोधन- 1.7.1998 से सैद्धांतिक रूप से 1.4.1900 से वित्तीय लाभ के साथ -पेंशन और सेवांत लाभों के भुगतान के लिए सरकारी आदेश - 1.7.1998 से 1.4.1999 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के भुगतान सहित पेंशन लाभों का दावा कर रहे हैं - अभिनिर्धारित किया गया: कानूनी कल्पना को इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सके जिसके लाभ के लिए ऐसी कानूनी कल्पना रची गई है ताकि उससे उत्पन्न होने वाले सभी परिणाम प्राप्त हो सकें - कर्मचारी 1.7.1998 से बढ़े हुए वेतन के लिए अधिकृत हो गए, लेकिन केवल राज्य की ऐसी आवर्ती देयता की गणना के उद्देश्य से, जो प्रभावी रूप से 1.4.1900 से देय हो गया।- राज्य उन

कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी के लिए कोई लाभ देने का इरादा नहीं रखता था जो 1.7.1998 और 31.3.1999 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे, ट्रिब्यूनल के आदेश ने कर्मचारियों को संशोधित पेंशन के हिस्से के रूपांतर के लिए पात्र ठहराया और उच्च न्यायालय के ग्रेच्युटी के भुगतान को अपास्त किया गया।

अपीलकर्ता- राज्य ने एक वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) का गठन किया, जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 1.4.1999 से वित्तीय लाभ के साथ 1.7.1998 से अनुमानित रूप से संशोधित वेतनमान की सिफारिश की। इसके बाद राज्य ने सरकारी आदेश जीओ(पी) संख्या 114 जारी किया जिसमें पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों पर पीआरसी की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई। 1.7.1988 और 1.4.1999 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने सरकारी आदेश के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के भुगतान सहित पेंशन लाभों के भुगतान के लिए आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने माना कि कर्मचारी संशोधित वेतनमान में निर्धारित अनुमानित वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के हकदार नहीं थे; और ग्रेच्युटी और रूपांतरित पेंशन का प्रतिशत भी बढ़ाया, लेकिन वे केवल एपी सिविल पेंशन कम्युटेशन रूल्स, 1944 के नियम 3 (डी) और (ई) के संदर्भ में संशोधित पेंशन के हिस्से के

रूपांतर के लिए पात्र थे। राज्य और कर्मचारियों दोनों ने रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया लेकिन कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दे दी। अतः प्रस्तुत अपील।

अपीलकर्ता - राज्य ने तर्क दिया कि जीओ संख्या 114 का पैराग्राफ 9 कर्मचारियों को कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है बल्कि केवल पृष्ठभूमि तथ्य प्रदान करता है; जीओ के नियम 4 से यह स्पष्ट था कि 1.4.1999 से पहले कोई मौद्रिक लाभ अर्जित नहीं किया गया था या भुगतान नहीं किया जाना था; कि टर्मिनल लाभों में ग्रेच्युटी शामिल नहीं है, और वित्तीय निहितार्थ प्रासंगिक मानदंड है।

प्रत्यर्थी- पेंशनर्स संघ ने तर्क दिया कि समग्र रूप से नियमों का अध्ययन किया जाऐ तो नियमों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह 1.7.1998 से लागू हुए थे, जिसके लिए एक कानूनी कल्पना बनाई गई है और उस दृष्टि से, हालांकि प्रभावी रूप से 1.4.1999 से मौद्रिक लाभ का भुगतान किया जाना था, ग्रेच्युटी की राशि की गणना और पेंशन के रूपान्तरण सहित सभी उद्देश्यों के लिए वेतनमान की पात्रता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा, अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

अभिनिर्धारित किया जाता अधिसूचना के प्रावधानों को समग्र रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। हालांकि अधिसूचना जारी करने में राज्य की मंशा को उसके प्रस्तावना भाग में बताए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में इकट्ठा किया जा सकता है, निर्विवाद रूप से प्रतिवादी - कर्मचारियों का कानूनी अधिकार, यदि कोई हो, अधिसूचना भाग से ही पता लगाया जाना चाहिए.

1.2. जी.ओ संख्या 114 का प्रथम भाग जो प्रस्तावना की प्रकृति या पृष्ठभूमि तथ्यों के बयान में है को संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के संदर्भ में बनाए गए और संहिताबद्ध नियमों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। जी.ओ का पैराग्राफ 16 स्पष्ट रूप से कथन करता है कि पेंशन और अन्य पर पीएसी की सिफ़ारिशों के लिए एफ टर्मिनल लाभ के लिए अलग- अलग आदेश जारी किए जा रहे है। केवल इसलिए कि जीओ के खंड 9 और 16 पेंशन लाभ और/ या अन्य टर्मिनल वेन्स की बात करते हैं, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे किसी क़ानून के विभिन्न प्रावधानों के के दायरे में आते हैं या यहां तक कि विभिन्न क़ानून भी उसके पूर्वावलोकन के भीतर आ सकते हैं। समग्र रूप से पढ़ी गई अधिसूचना यह नहीं सुझाती है कि राज्य पीआरसी द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान के आधार पर 1.4.1999 से पहले पुनर्मूल्यांकन ग्रेच्युटी का भुगतान करने का

इरादा रखता है। जीओ में वैधानिक नियम ग्रेच्युटी के भुगतान की बात नहीं करता है। [233- ए- बी]

राज्य सरकार पेंशनर्स एसोशियेशन और अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य [1986] 3 एस.एस.सी 501, भारत संघ बनाम ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन व अन्य [1988] 2 एस.एस.सी 580, उत्तरप्रदेश राज्य बनाम यु.पी युनिवर्सटी कॉलेज पेंशनर्स एसोसिएशन व अन्य [1994] 2 एस.एस.सी 729, पंजाब राज्य व अन्य बनाम बूटासिंह व अन्य [2000] 3 एस.एस.सी 733, पंजाब राज्य व अन्य बनाम अमरनाथ गोयल व अन्य [2005] 6 एस.एस.सी 754 एवं डी एस नकारा और अन्य बनाम भारत संघ [1983] 1 एस.एस.सी 305,

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपील संख्या 6704- 6780/2005

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 20755, 24080/2002, 2427, 2485, 2995, 3645, 4436, 3634, 3153, 3652, 3676, 3736, 2776, 3146, 3552, 355 3237, 5650, 3206, 56-40, 4828, 47, 6557/2003, 12447/2001, 14556 , 15109, 15110, 15212, 13225 , 15257, 15351, 152, 15647, 152,532, 16533, 16534, 16539, 16556/2003 और 23504 वर्ष 2002

निर्णय और आदेश दिनांक 10.09.2003

एच.एस गुरू राजा राव पी.पी. राव, पी.विनय कुमार, श्रीमती डी. भारथी रेड्डी और सुश्री स्नेहा भास्करन, अपीलकर्ता की ओर से,

उदय उमेश ललित, कैलाश वासुदेव और ए.के गांगुली, आर.सनाथना कृष्ण्न, ए.वी.वी.एस भुजंगा राव, विजया कुमार, सुश्री के राधा रानी, डी.महेश बाबु, सी.बी.एन बाबु, बिमल रॉय जाड, सी.एस.एन मोहनराव और सी.एम. अंगद प्रत्यर्थीगण की ओर से,

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया ।

एस.बी, सिन्हा, जे, छूट मंजूर की गई ।

इन अपीलों द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश् दिनांक 10.09.2003 के विरूद्ध चुनौती दी गई है, जिसके तहत एपी प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 14.6.2002 के आम फैसले और आदेश में प्रत्यथ्र्यो द्वारा दायर मूल प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया गया था उसको अपास्त किया गया था।

प्रतिवादी संघ पेंशनभोगियों का एक संघ है। हस्तक्षेपकर्ता, श्री के. नागभूषणम और अन्य, श्री ए. सुधाकर और अन्य। और के.अप्पना एवं अन्य भी आंध्र प्रदेश राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

प्रकरण के तथ्य इस निम्नानुसार है:-

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान के संशोधन के साथ-साथ डीए आदि के विलय के सवाल पर विचार करने के उद्देश्य से एक वेतन संशोधन आयोग (संक्षेप में "पीआरसी") का गठन किया। 21.7.1999 को या उसके आसपास, पीआरसी ने 1.4.1999 से वित्तीय लाभ के साथ 1.7.1998 से अनुमानित रूप से संशोधित वेतनमान की सिफारिश की। राज्य के मुख्यमंत्री ने 24.7.1999 को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जिसमें इस बात पर सहमति बनी:

> "संशोधित वेतनमान का नकद लाभ अगस्त, 1999 में देय जुलाई, 1999 महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा। अप्रैल, मई और जून, 1999 के तत्कालीन महीनों के लिए संशोधित वेतनमान से उत्पन्न परिलब्धियों का एरियर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किया जाएगा।"

इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने दिनांक 11.8.1999 को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसका क्रमांक जीओ (पी) क्रमांक 114 था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों पर पीआरसी की सिफारिशों को लागू करने का तरीका और तरीका निर्दिष्ट किया गया था। उक्त सरकारी आदेश दो भागों में है। पैराग्राफ 1 से 23 वाले पहले भाग में पृष्ठभूमि तथ्य और पीआरसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य का निर्णय

शामिल है। खंड 9 और 16, जो इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं, जो निम्नानुसार पढ़ें:

"9. 1-7-1998 और 31-3-1999 के बीच सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति भी संशोधित वेतनमान, 1999 के लिए पात्र होंगे। इन आदेशों के अनुसार संशोधित वेतनमान, 1999 में निर्धारित अनुमानित वेतन इस प्रकार होगा मामले पेंशन लाभ में गिने जाते हैं।"

"16. पेंशन और अन्य सेवांत लाभों पर वेतन पुनरीक्षण आयोग की सिफारिशों के संबंध में भी पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं।"

उक्त सरकारी आदेश के दूसरे भाग में मसौदा अधिसूचना शामिल है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए नियम शामिल हैं जिन्हें "एपी संशोधित वेतनमान नियम, 1999" कहा जाता है। नियम 1(2) के संदर्भ में उक्त नियम 1 जुलाई, 1998 से लागू माने जाएंगे। इन्हें 1 जुलाई, 1998 से पहले नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों, चाहे अस्थायी, नियमित या स्थायी, पर लागू किया जाना था। संशोधित वेतनमान के लिए बने नियमों में नियम ३ का उपनियम 1 इस प्रकार है-

"(1) उप-नियम-2 में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, अनुसूची -1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट मौजूदा वेतनमान को उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित किया जाएगा।"

उक्त नियम के उप-नियम (2) में उप-नियम (1) का एक अपवाद शामिल है जो निम्नानुसार है: -

"(2) जहां मौजूदा वेतनमान जो अनुसूची 1 के कॉलम 2 में निर्दिष्ट है, के किसी पद के संबंध में, कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट संशोधित वेतनमान के अलावा कोई संशोधित वेतनमान हो। उस अनुसूची को अनुसूची II के कॉलम (4) में निर्दिष्ट किया गया है, अनुसूची II के कॉलम (4) में निर्दिष्ट संशोधित वेतनमान लागू होगा।

नियम 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 1.4.1999 से पहले किसी भी अवधि के लिए किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

नियम 5 विकल्प के उपयोग के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिसके अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को 1 जुलाई 1998 से या उस तारीख से नए वेतनमान का विकल्प चुनना चाहिए जिस दिन वह मौजूदा वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि अर्जित करता है, लेकिन 30 जून, 1999 के बाद में नहीं। वह मौजूदा वेतनमान में बने रहने का विकल्प भी चुन

सकते थे। उप-नियम (6) और (7) विशेष रूप से 1 जुलाई, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के संबंध में विकल्प का प्रयोग करने के तरीकों को निर्धारित करते हैं। इस तरह के विकल्प का प्रयोग उस सरकारी कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा भी किया जा सकता है, जिसकी मृत्यु हो गई हो। उक्त तिथि को या उसके बाद सेवा।नियम 9 के उप-नियम (1) में एक गैर-अस्थिर खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए किसी भी नियम का , जहां तक यह इन नियमों के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य ने 16.9.1999 को उक्त जीओ(पी) संख्या 156 भी जारी किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संशोधित समेकित पेंशन 1.4.1999 से देय मौद्रिक लाभ के साथ 1.7.1998 से लागू होगी। उक्त जीओ का पैराग्राफ 5 इस प्रकार है:

"5. 01-07-1998 और 1-4-1999 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारी ऊपर पढ़े गए जी.ओ 7वें में जारी आदेशों के अनुसार संशोधित वेतनमान, 1999 में अपने वेतन में संशोधन के पात्र हैं। इस प्रकार, की पेंशन इन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान, 1999 में संशोधित वेतन के अनुसार अनुमानित रूप से संशोधित किया जा सकता है और 01-04-1999 से मौद्रिक लाभ की

अनुमति दी जानी चाहिए। उपरोक्त अनुसार निर्धारित पेंशन में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और कम्युटेशन पर कोई अंतर नहीं दिया जाएगा।

लिहाजा पुनः, 16.9.1999 को जीओएम नंबर 157 पर एक और अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार एपी संशोधित पेंशन नियम, 1980 के नियम 46 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 1,75,000/- से बढ़ाकर रु. 2,50,000/-कर दी गई। पैराग्राफ 3 निम्नानुसार है:-

> "ये आदेश 1-4-1999 से लागू होंगे और उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिनकी मृत्यु उस तारीख को या उसके बाद हुई है।

1-4-1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इन आदेशों के जारी होने के कारण बकाया राशि का भुगतान उपरोक्त सरकारी आदेश पांच के पैरा 4.4 के अनुसार किया जाएगा।

जीओएम संख्या 158 16.9.1999 को जारी किया गया था, जिसमें एपी सिविल पेंशन (कम्युटेशन) नियम, 1944 के तहत पेंशनभोगियों को स्वीकृत पेंशन को 1.4.1999 से पेंशन के कम्युटेशन की सीमा को 40% तक बढ़ा दिया गया था। ऐसी वृद्धि केवल उन व्यक्तियों के संबंध में लागू है जो 1.4.1999 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या जिनकी मृत्यु हो गई। 23.12.1999 को या उसके लगभग , जीओएम संख्या 206 जारी किया

गया था, जिसके संदर्भ में जीओ (पी) नंबर 114 दिनांक 11.8.1999 के पहले भाग के पैराग्राफ 9 को निम्नलिखित प्रभाव से स्पष्ट किया गया था:

> "1-7-1998 और 31-3-1999 के बीच सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति भी संशोधित वेतनमान, 1999 के लिए पात्र होंगे। इन आदेशों के अनुसार संशोधित वेतनमान, 1999 में निर्धारित अनुमानित वेतन, ऐसे मामलों में अनुमानित रूप से पेंशन की गणना की जाऐगी एंव और संशोधित पेंशन का मौद्रिक लाभ 1-4-1999 से प्रभावी रूप से स्वीकृत किया जाऐगा।
>
> 1.7.1998 और 1.4.1999 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष बड़ी संख्या में मूल आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें अनुच्छेद 9 के संदर्भ में कम्युटेशन, पेंशन, ग्रेच्युटी और जीओ नंबर 114 के पैरा० 09 में वर्णित नियमों के अनुसार छुट्टी के नकदीकरण सहित पेंशन लाभों के भुगतान की प्रार्थना की गई थी।

अपने सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 14.6.2002 में, ट्रिब्यूनल द्वारा जाहिर किया गया कि आवेदक संशोधित वेतनमान में निर्धारित अनुमानित वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश के नकदीकरण के हकदार नहीं थे। उन्हें जीओएम संख्या 157 एवं 158 के नियमों के अनुसार बढ़ी

हुई ग्रेच्युटी और कम्युटेशन के बढ़े हुए प्रतिशत का भी हकदार नहीं माना गया, अपितु मात्र एपी सिविल पेंशन कम्युटेशन नियम, 1944 के नियम 3(डी) और (ई) के नियमों सें संशोधित पेंशन के हिस्से के कम्युटेशन के लिए पात्र माना।

आंध्र प्रदेश राज्य और मूल आवेदकों दोनों ने इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर कीं। दिनांक 10.9.2003 के आक्षेपित निर्णय के कारण उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जबकि कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई थी। पीड़ित राज्य हमारे सामने है।

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीपी राव और श्री एचएस गुरु राजा राव ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के तर्क कि सरकार ने यूनियनों के साथ समझौते के विपरीत कार्य किया, और अनुच्छेद 9 जीओ नंबर 114 ने कर्मचारियों को जो कानूनी अधिकार दिया है, उसे कायम नहीं रखा जा सकता।

आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के विवरण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि उसके खंड (4) के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि यह उन व्यक्तियों से संबंधित है जो पद पर बने रहेंगे। 1.4.1999 के बाद भी सेवा, और उन व्यक्तियों के संबंध में नहीं जो सेवानिवृत्त हो गए थे और उससे पहले अपने सेवानिवृत्ति

लाभ प्राप्त कर लिए थे। उच्च न्यायालय के दूसरे तर्क के संबंध में श्री राव का तर्क होगा कि उक्त जीओ का पैराग्राफ 9, जो वैधानिक नियम का हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से गलत समझा गया है क्योंकि यह केवल पृष्ठभूमि तथ्य प्रदान करता है। उक्त शासनादेश के पैराग्राफ 16 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, यह तर्क दिया गया कि चूंकि पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों पर पीआरसी की सिफारिशों के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए जाने थे, इसलिए उक्त अधिसूचना के प्रावधानों पर ही विचार किया जा सकता है। कर्मचारियों के कानूनी अधिकार का निर्धारण करने का उद्देश्य। श्री राव ने कहा कि टर्मिनल लाभों में ग्रेच्युटी शामिल नहीं है।

उक्त शासनादेश संख्या 114 के दूसरे भाग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री राव ने आग्रह किया कि इसके नियम 4 के अवलोकन से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि 1.4.1999 से पहले कोई मौद्रिक लाभ अर्जित नहीं हुआ था या भुगतान नहीं किया जाना था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सेवा के नियमों और शर्तों में एकतरफा बदलाव कर सकती है। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय इस मामले में गंभीर वित्तीय निहितार्थ को नोटिस करने में विफल रहा।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री उदय उमेश ललित ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां 1.4.1999 को नियमों के शर्तों के अनुसार सेवांत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कट-ऑफ तारीख के रूप में तय किया गया था। यह आग्रह किया गया था कि नियमों को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट रूप से इंगित होगा कि यह 1.7.1998 से प्रभावी हुए थे, जिसके लिए एक कानूनी कल्पना बनाई गई है और मामले की उस दृष्टि से, यद्यपि मौद्रिक लाभ का भुगतान दिनांक 01.04.1999 से प्रभावी रूप से किया जाना था पर, ग्रेच्युटी की राशि की गणना के साथ-साथ पेंशन के रूपान्तरण आदि सहित सभी उद्देश्यों के लिए वेतनमान की पात्रता से इनकार नहीं किया जा सकता है। जीओ नंबर 114 के बाद जारी किए गए अन्य जीओएम नंबर 156,157, 158 और 206, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत जारी नहीं किए गए हैं , जबकि जीओ नंबर। 114 इस प्रकार जारी किए जाने के बाद, यह वैधानिक नियम के प्रभाव को कम नहीं कर सकता है। किसी भी घटना में, उक्त जीओएम को ट्रिब्यूनल द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया है, जिसके निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है।

चूँकि नियम 1.7.1998 से वेतन में वृद्धि पर विचार करते हैं, इसे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसे इसके

मूलभावना में लागू किया जाना चाहिए। यदि उच्च वेतनमान के लाभ के साथ-साथ अन्य अपेक्षित लाभों की गणना 1.7.1998 से की जानी है, केवल इसलिए कि पैसे के संदर्भ में वास्तविक भुगतान स्थगित कर दिया गया है, इससे वह अधिकार नहीं छीन जाएगा जो उससे अर्जित हुआ था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वेतन सेवा की शर्त है।

पक्षकारान के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर ध्यान देने से पहले, हम क्रमशः ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर ध्यान दे सकते हैं।

ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(ए) जीओ संख्या 114 दिनांक 11.8.1999 के पैराग्राफ संख्या 1 से 23 में कोई वैधानिक बल नहीं है।

(बी) वैधानिक नियम का नियम 4 1.7.1998 और 1.4.1999 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को किसी भी मौद्रिक लाभ के लिए कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है, और उनकी सेवानिवृत्ति पर मामले को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अपना वेतन नहीं लिया है संशोधित वेतनमान में, उसके संदर्भ में वे इसके हकदार नहीं थे।

(सी) जीओ नंबर 114 के पैराग्राफ 9 के संबंध में, ट्रिब्यूनल ने राय दी कि एक कार्यकारी आदेश होने के कारण, मूल आवेदक वैधानिक नियमों के

विपरीत अनुमानित वेतन पर तय की गई ग्रेच्युटी की राशि पाने के हकदार नहीं हैं।

(डी) जीओ नंबर 156 का पैराग्राफ 5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है।

(ई) यह नोट किया गया कि 1.4.1999 की कट-ऑफ तारीख तय करने वाले जीओ नंबर 114 के नियम 4 की वैधता या वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया गया था। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से ऐसी कट-ऑफ तारीख इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है कि वित्तीय वर्ष 1.4.1999 से शुरू हुआ था।

(एफ) ग्रेच्युटी पेंशन का हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि वैचारिक रूप से वे अलग हैं।

दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

(i) सरकार ने अपने और यूनियनों के बीच हुए समझौते के विपरीत काम किया; और

(ii) जीओ संख्या 114 के पैराग्राफ 9 में कर्मचारियों को एक अधिकार प्रदान किया गया था जिसे दूसरा जीओ जारी करके छीना नहीं जा सकता था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से उठाए गए अन्य तर्कों पर ध्यान नहीं दिया।

इस पर कोई विवाद नहीं है कि जीओ नंबर 114 दो भागों में है। पैराग्राफ 1 से 23 केवल अधिसूचना जारी करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि बताते हैं। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि जीओ नंबर 114 में निहित वैधानिक नियम ग्रेच्युटी की बात नहीं करता है। हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित दिनांक 24.7.1999 की बैठक के कार्यवृत्त में उच्च न्यायालय की राय के अनुसार कोई समझौता नहीं है।

जीओ नंबर 114 दो भागों में है, पहला भाग जो प्रस्तावना या पृष्ठभूमि तथ्यों के बयान की प्रकृति में है , उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के संदर्भ में बनाए गए और अधिसूचित नियमों का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। जीओ का पैराग्राफ 16, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा गया है कि पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों पर पीआरसी की सिफारिशों के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए जा रहे थे। केवल इसलिए कि उक्त शासनादेश के खंड 9 और 16 पेंशन लाभ और/या अन्य टर्मिनल लाभों की बात करते हैं, हमारी राय में, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने सभी लाभों को अपने दायरे में ले लिया है जो किसी क़ानून के विभिन्न प्रावधानों या यहां तक कि अलग-अलग क़ानूनों के तहत आते हैं। उसके पूर्वावलोकन के अंतर्गत आ सकता है।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, अधिसूचना के प्रावधानों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उपरोक्त अधिसूचना जारी करने में राज्य की मंशा को हालांकि उसके प्रस्तावना भाग में बताए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन निर्विवाद रूप से प्रतिवादियों का कानूनी अधिकार, यदि कोई हो, अधिसूचना भाग से ही पता लगाया जाना चाहिए। समग्र रूप से पढ़ी गई अधिसूचना यह नहीं सुझाती है कि आंध्र प्रदेश राज्य पीआरसी द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान के आधार पर 1.4.1999 से पहले सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का भुगतान करने का इरादा रखता है।

श्री ललित अपनी दलीलों में सही हो सकते हैं कि संशोधित वेतनमान काल्पनिक रूप से 1.7.1998 से तय किया गया था, लेकिन, यह स्वीकार करते हुए कि, इसके लिए नकद लाभ 1.4.1999 से देय था। पेंशन और ग्रेच्युटी दो अलग-अलग चीजें हैं। दी गई स्थितियों में, वे विभिन्न क़ानूनों के तहत देय हो सकते हैं। माना जाता है कि, पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित मामला एपी संशोधित पेंशन नियम, 1980 द्वारा शासित होता है। उक्त नियमों का नियम 31 "परिलब्धियों" को 'वेतन' के रूप में परिभाषित करता है जैसा कि नियम 9(21)(ए)(i) में परिभाषित है।) मौलिक नियमों का, जो एक सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले या उसकी मृत्यु की तारीख पर मिल रहा था। नियम 46

सेवानिवृत्ति उपदान के लिए प्रावधान करता है, खंड (1)(ए)(ए) इस प्रकार है:

"46. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी: - (1)(ए) एक सरकारी कर्मचारी, जिसने पांच साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और नियम 45 के तहत सेवा ग्रेच्युटी या पेंशन के लिए पात्र हो गया है, उसकी सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी,-

(ए) यदि वह संशोधित वेतनमान, 1993 के अनुसार वेतन प्राप्त करता है, तो उसके बराबर राशि

(i) प्रत्येक पूर्ण छह मासिक सेवा अवधि के लिए परिलब्धियों का 1/4 हिस्सा, परिलब्धियों का अधिकतम पंद्रह गुना या पैंसठ हजार रुपये, जो भी कम हो; या

(ii) प्रत्येक पूर्ण छह मासिक सेवा अवधि के लिए परिलब्धियों का 3/16 वाँ हिस्सा, परिलब्धियों का अधिकतम 12.375 गुना या एक लाख रुपये, जो भी कम हो;

उसके द्वारा अपनी ओर से चुने गए विकल्प के अनुसार;"

इसलिए, सरकारी कर्मचारी को देय सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना उसमें निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर की जानी आवश्यक है। उपर्युक्त नियम के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गणना के प्रयोजन के लिए

या तो सेवा की प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का 1/4 वां भाग, या प्रत्येक पूर्ण छह मासिक सेवा अवधि के लिए परिलब्धियों का 3/16 वां हिस्सा लिया जाना है। विचार करना। ऐसी परिलब्धियाँ आवश्यक रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख या मृत्यु की तारीख से ठीक पहले देय थीं। 1.4.1999 को, उपरोक्त जीओ संख्या 114 में निहित स्पष्ट अभिव्यक्तियों के मद्देनजर, जो कर्मचारी 1.7.1998 और 1.4.1999 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए, उन्हें उक्त नियम के अनुसार गणना की गई वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। श्री ललित का इस आशय का कथन कि वे 1.7.1998 से बढ़े हुए वेतन और इसलिए, बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के हकदार बन गए हैं, पूरी तरह से सही नहीं है। वे इसके हकदार बन गए, लेकिन केवल राज्य की ऐसी आवर्ती देनदारी की गणना के उद्देश्य से, जो 1.4.1999 से देय हो गई। उच्च न्यायालय ने उक्त नियम में बनाई गई कथित कानूनी कल्पना पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि यह 1.7.1998 से लागू होगा। कानूनी कल्पना को निस्संदेह इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को, जिसके लाभ के लिए ऐसी कानूनी कल्पना बनाई गई है, उससे उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम में। हीराबाई खंडप्पा मगदुम और अन्य। [(1978) 3 एससीआर 761], जिस पर श्री ललित ने मजबूत भरोसा जताया, अदालत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के संदर्भ

में सहदायिक संपत्ति में मृतक के हिस्से को लेकर चिंतित थी। उक्त प्रावधान के संदर्भ में मृतक के हिस्से की गणना करने के उद्देश्य से एक कानूनी कल्पना रची गई थी, जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता। वादी का शेयर में 1/6 वां हिस्सा था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 से जुड़े स्पष्टीकरण में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह माना गया कि वादी सहदायिक संपत्ति के 1/4 वें हिस्से में से 1/6 वें हिस्से का भी हकदार था, यानी 1/24 वें हिस्से का विभाजन की तिथि पर, वादी के पास स्वतंत्र 1/4 वां हिस्सा होना था, न्यायालय ने माना कि संपत्ति में वादी का हिस्सा 1/4+1/24 वां होगा।

मौजूदा मामला वास्तव में एक अलग समस्या पैदा करता है। हालाँकि गुरुपाद खंडप्पा मगदुम (सुप्रा) की तरह वेतन के एक काल्पनिक संशोधन पर विचार किया जाना था जैसे कि यह 1.7.1998 से प्रभावी हुआ हो, लेकिन नियम आगे बढ़ गया और कहा गया कि इसका वास्तविक मौद्रिक लाभ 1.4.1999 से दिया जाएगा। इसलिए, यह नियम न केवल कानूनी कल्पना रचता है बल्कि इसके संचालन में सीमाएं भी प्रदान करता है। यदि कानूनी कथा का प्रभाव श्री ललित द्वारा सुझाए गए तरीके से बढ़ाया जाता है, तो नियम का खंड (4) ओटोज़ हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी नियम से सामान्यतः उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों को प्रभावी किया जाएगा

यदि नियम अन्यथा उसके संचालन को सीमित नहीं करता है। यदि नियम स्वयं इसके संचालन पर एक सीमा प्रदान करता है, तो कानूनी कल्पना से उत्पन्न होने वाले परिणामों को निर्धारित सीमाओं के प्रकाश में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, श्री ललित द्वारा सुझाए गए अनुसार कानूनी कल्पना का अर्थ लगाना संभव नहीं है।

इसके अलावा, नियम की व्याख्या करते समय, यह न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि इसमें ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान नहीं था।

राज्य सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम में। आंध्र प्रदेश राज्य [(1986) 3 एससीसी 501], इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब संशोधित योजना 1 अप्रैल 1978 से लागू हुई, तो संशोधित पेंशन नियम, 1980 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान न करना उन पेंशनभोगियों को देय नहीं था जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के समय वे तत्कालीन मौजूदा नियमों द्वारा शासित होते थे और उनकी ग्रेच्युटी की गणना उसी आधार पर की जाती थी। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

भारत संघ बनाम में अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य [(1988) 2 एससीसी 580], कानून निम्नलिखित शब्दों में बताया गया है:

"8. पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन और सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के बीच अंतर किया है। जबकि पेंशन समय-समय पर तब तक देय होती है जब तक पेंशनभोगी जीवित है, ग्रेच्युटी का भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति पर केवल एक बार किया जाता है। "

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम में यूपी यूनिवर्सिटी कॉलेज पेंशनर्स एसोसिएशन (1994) 2 एससीसी 729], इस न्यायालय ने माना कि किसी क़ानून में किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में ग्रेच्युटी को पेंशन का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम में। बूटा सिंह और अन्य [(2000) 3 एससीसी 733], यह कहा गया था:

"7. गुण-दोष के आधार पर हम पाते हैं कि प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए सेवानिवृत्ति लाभ वे लाभ हैं जो बाद के आदेशों/अधिसूचनाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, जो व्यक्ति इन अधिसूचनाओं और आदेशों के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे सेवानिवृत्ति के विभिन्न नियमों द्वारा शासित होते हैं। उन लोगों की तुलना में जो पुराने नियमों के तहत सेवानिवृत्त हुए थे और पुराने नियमों द्वारा शासित थे। सेवानिवृत्त व्यक्तियों की दो श्रेणियां नियमों के दो अलग-अलग सेटों द्वारा शासित थीं। इसलिए,

उन्हें बराबर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अतिरिक्त लाभ देने के वित्तीय निहितार्थ हैं इसलिए, ऐसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की तारीख निर्दिष्ट करना मनमाना नहीं माना जा सकता है।"

पंजाब राज्य और अन्य बनाम में। अमर नाथ गोयल और अन्य [(2005) 6 एससीसी 754], बड़ी संख्या में निर्णयों पर विचार करने पर, इस न्यायालय ने कहा कि राज्य का निर्णय केवल उन कर्मचारियों तक लाभ सीमित करना है जो किसी विशेष तिथि पर या उसके बाद सेवानिवृत्त या मर गए हैं। इसके वित्तीय निहितार्थों की गणना करना न तो अतार्किक था और न ही मनमाना। ऐसा देखा गया:

"28 यह सामान्य बात है कि, वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें सरकार के लिए वास्तव में बाध्यकारी नहीं थीं, क्योंकि सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना और लागू करना था। सरकार ने ठीक यही किया है सरकार की ओर से इस तरह की कार्रवाई को न तो अतार्किक और न ही मनमाना माना जा सकता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो।"

श्री ललित ने डीएस नकारा और अन्य बनाम पर मजबूत निर्भरता रखी। भारत संघ [(1983) 1 एससीसी 305] इस प्रस्ताव के लिए कि पीआरसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय निहितार्थ अधिक प्रासंगिक नहीं है। उसमें, संविधान पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त फैसले पर

बढ़ी हुई देनदारी इतनी अधिक नहीं है कि असहनीय हो या ऐसी हो कि सरकार इस योजना के तहत पुराने पेंशनभोगियों को कवर करने से वंचित हो जाती।

इस न्यायालय के निर्णय जो अमर नाथ गोयल (सुप्रा) में देखे गए हैं, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वित्तीय निहितार्थ राज्य के लिए प्रासंगिक विचारों में से एक है, जो कर्मचारियों के एक वर्ग को कुछ लाभों से वंचित करता है जो किसी विशेष तिथि पर या उससे पहले सेवानिवृत्त होते हैं।

इसलिए, यह किसी भी संदेह से परे है कि वित्तीय निहितार्थ राज्य सरकार के लिए यह निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक मानदंड है कि पीआरसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार या आगे बढ़ने के लिए क्या लाभ दिए जा सकते हैं। पीआरसी ने यह भी कहा कि वेतन में संशोधन 1.7.1998 से प्रभावी होगा, मौद्रिक लाभ केवल 1.4.1999 से देय होगा। यदि मौद्रिक लाभ केवल 1.4.1999 से देय था, तो संशोधित वेतनमान के आधार पर गणना किए गए लाभों को प्राप्त करने के सभी अधिकार केवल 1.4.1999 से प्रभावी वेतन के भुगतान या आवर्ती राशि के भुगतान के उद्देश्य से होंगे। उस तिथि से प्रभावी पेंशन।

जहां तक ग्रेच्युटी के भुगतान या अन्यथा वास्तविक मौद्रिक लाभ के भुगतान का संबंध है, खंड (4) कोई अपवाद नहीं बनाता है। यदि ऐसा होता तो नियम स्पष्ट रूप से व्यकत करता। दूसरी ओर, जीओ संख्या 157

दिनांक 16.9.1999 ने 1.4.1999 से ही एपी संशोधित पेंशन नियमों के नियम 46 के तहत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा तय की।

इसलिए, हमारी राय है कि राज्य का इरादा उन कर्मचारियों के संबंध में भी ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए कोई लाभ देने का नहीं था, जो 1.7.1998 और 31.3.1999 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे।

उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, हम ट्रिब्यूनल से सहमत हैं कि कर्मचारी एपी सिविल पेंशन (कम्युटेशन) नियम, 1944 के नियम 3 के अनुसार संशोधित पेंशन के हिस्से की गणना के लिए पात्र हैं। अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया गया है और ट्रिब्यूनल की स्थिति बहाल कर दी गई है। कोई लागत नहीं.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री खगेन्द्रकुमार आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी

अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।